रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272456
CG-DL-E-13052026-272456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

सं. 07/2026-27

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.12 (vi) के अन्तर्गत तदर्थ मानदंडो की वैधता के संबंध में।

फा.सं. 01/94/180/011/एएम24/पीसी-4. —समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक-2023 के पैरा 4.12 (vi) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 4.12 (vi)	संशोधित पैरा 4.12 (vi)
पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार-पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2023 को या उसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड, अनुसमर्थन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वैध रहेंगे। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 को या उसके बाद किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित	पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार-पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 को या उसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड, दिनाकं 31.03.2028 तक वैध रहेंगे। चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत के रुप में उपलब्ध हैं, अतः अग्रिम प्राधिकार-पत्र के

मानदंड भी दिनांक 31.03.2026 तक वैध रहेंगें। चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत के रुप में उपलब्ध हैं, अतः अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अन्य सभी आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इन मानदंडों की वैधता के दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पैरा परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदित प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।	अन्य सभी आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इन मानदंडों की वैधता के दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पैरा परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदित प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है और ऐसे तदर्थ मानदंडों जिन्हें मानदंड समिति (एनसी) ने स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट किया है कि ऐसे मानदंड अन्य आवेदकों के लिए लागू नहीं है।

सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक-2023 के पैरा 4.07 के तहत मानदंड समिति द्वारा दिनांक 01.04.2015 को अथवा उसके बाद अनुसमर्थित तदर्थ मानदंड की वैधता की अवधि दिनांक 31.03.2028 तक वैध रहेगी। इस संशोधन का उद्देश्य निर्यातकों के लिए निरंतरता, पूर्वानुमेयता और लेनदेन संव्यवहार लागत में कमी सुनिश्चित करके व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है।

लव अग्रवाल,महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th May, 2026

No. 07/2026-27

Subject: Validity of Ad-hoc norms under Para 4.12 (vi) of HBP-2023– reg.

F. No. 01/94/180/011/AM24/PC-4—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 4.12 (vi) of HBP-2023:

Existing Para 4.12 (vi)	Amended Para 4.12 (vi)
Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2023 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 shall be valid for a period of three years from the date of ratification. However, the Norms ratified by any Norms Committee (NC) on or after 01.04.2015 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 of HBP, 2015-2020 shall also be valid further upto 31.03.2026.i Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorisation are also eligible to apply and get their authorisations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms. This para is not applicable for authorisations applied for items listed under Appendix 4P.	Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2015 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 shall be valid up to 31.03.2028. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorisation are also eligible to apply and get their authorisations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms. This para is not applicable for authorisations applied for items listed under Appendix 4P and to those ad-hoc norms in which Norms Committee (NC) has expressly specified that such norms shall not be applicable for other applications.

Effect of this Public Notice: The validity period of ad-hoc norms ratified by Norms Committees on or after 01.04.2015 under Para 4.07 of HBP-2023 shall remain valid until 31.03.2028. This amendment aims to promote ease of doing business by ensuring continuity, predictability and lowering transaction costs for exporters.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.13 10:26:23 +05'30'